

भर्ती शाखा

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारः

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कितनी छूट है?

उत्तर : भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कितनी होगी?

उत्तर : आरक्षण की स्थिति अर्थात् अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों सहित विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, मांगकर्ता विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई भर्ती मांगों में दर्शायी जाती है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तदनुसार आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में प्रकाशित किया जाता है।

3. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है?

उत्तर : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने में छूट प्राप्त होती है।

4. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है?

उत्तर : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकता है। तथापि अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए लागू चयन के मानकों में कोई भी छूट या शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित किसी उम्मीदवार का अपनी मेरिट पर चयन होने पर उसे आरक्षित रिक्ति अथवा अनारक्षित रिक्ति के लिए समायोजित किया जाएगा?

उत्तर : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित वे उम्मीदवार जिनका चयन उन्हें प्राप्त छूट और शिथिल मानदण्डों का लाभ उठाए बगैर उनकी स्वयं की मेरिट पर होता है, उन्हें

अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किया जाता है। यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर चयन में कोई छूट या शिथिलता मानक लागू किए जाते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों को केवल संबंधित श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्त के लिए ही चयनित माना जाएगा।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए चयन मानकों में लागू होने वाली छूट और शिथिलताएं क्या हैं?

उत्तर : ऊपरी आयु सीमा में छूट और शुल्क का भुगतान करने में प्राप्त छूट के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के लिए अपनाए जाने वाले चयन के मानदंडों की तुलना में चयन के शिथिल मानदंडों के हकदार होते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु लघुसूची तैयार करने के लिए अपनाए गए मानदंड, सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों से भिन्न हो सकते हैं। यदि इस श्रेणी में विहित योग्यताएं धारित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं हो तो ऐसे उम्मीदवारों को पद के लिए विहित अनुभव में 50% तक की छूट दी जा सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार साक्षात्कारों में भी चयन के लिए शिथिल मानदण्डों के हकदार हैं।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम उपयुक्तता अंक कितने होते हैं?

उत्तर : साक्षात्कार में उम्मीदवारों को 100 अंकों में से अंक दिए जाते हैं। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपयुक्तता के न्यूनतम मानक अंक 50 हैं; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कारों में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर 40 अंक है (शिथिल मानदण्डों के आधार पर)। जिन उम्मीदवारों को चयन के शिथिल मानदण्डों के आधार पर अनुशंसित किया जाता है, उनके लिए आयोग द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की अनुशंसा की जाती है।